भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1678

सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)

घरेलू/प्रवासी कामगारों का सर्वेक्षण

1678. श्री राजन बाबूराव विचारे:

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू कामगारों के हितों के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने हेतु घरेलू कामगारों के संबंध में कोई सर्वेक्षण शुरू किया है जिसमें 5.5 लाख परिवारों के आंकड़ों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) घरेलू और प्रवासी मजदूरों के संबंध में किए गए सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) उक्त सर्वेक्षण को पूरा करने और परिणामों को प्रकाशित करने के लिए अपेक्षित समय-सीमा कितनी है और उक्त सर्वेक्षण करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ड.) सरकार द्वारा जिन लोगों का सर्वेक्षण किया जा रहा था, उनकी निजता को सुरक्षित रखने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय ने महाराष्ट्र सहित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के चुनिंदा घरों से जानकारी एकत्र कर अखिल भारतीय घरेलू कामगारों का सर्वेक्षण किया है।

घरेलू और प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण बहुस्तरीय प्रतिदर्श डिजाइन के आधार पर नमूना परिवारों को चयनित कर, संचालित किया गया है। घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण का फील्डवर्क अंतिम चरण में है।

उत्तरदाता परिवारों की पहचान कभी प्रकाशित नहीं की जाती तथा संख्याओं के एकत्रीकरण के आधार पर ही परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।

******